# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2471/2025

डॉ. सुनील सर्राफ —अपीलार्थी

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप—2 एवं पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 08.04.2025
आदेश की दिनांक : 22.04.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

**समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी) के पद पर जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला चिकित्सालय, पोकरण जिला जैसलमेर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 550 कि.मी. दूर किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 03.04.2025 (अनुलग्नक—2) को कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया है। उक्त पद वर्तमान में रिक्त है। राजकीय जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में शल्य चिकित्सा में कुल 8 पद स्वीकृत है। जिसमें से अपीलार्थी एक के अलावा अन्य भी पद रिक्त है एवं अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में सभी पद रिक्त है। इस संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी विभागीय उच्चाधिकारियों को दिनांक 01.02.2025 (अनुलग्नक—4) के द्वारा पत्र लिखा गया था। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर अक्टूम्बर, 2023 से कार्यरत है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दो वर्ष की अवधि भी पूरी नहीं हुई है और अपीलार्थी को दो वर्ष से पूर्व ही स्थानान्तरण कर दिया गया है। राज्य सरकार की सामान्य नीति है कि दो वर्ष की अवधि से पूर्व सामान्यतया स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 03.04.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी

विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी) के पद पर जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में समस्त वेतन–भत्तों सहित कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी) के पद पर जिला चिकित्सालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला चिकित्सालय, पोकरण जिला जैसलमेर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया जाकर आदेश दिनांक 03.04.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2023 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 03.04.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**